A-64

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर–09 /2022 संवत्:–2079

राजस्थान सरकार जरिये बनाम कान्तीलाल पुत्र अनोपचन्द जाति

पटवारी हल्का सिणधरी ब्राह्मण निवासी सिणधरी चौहटन

निर्णय

दिनांक:–23-9-2022

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी सिणधरी ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया। कि गैर सायल ने संवत् 2079 में राजस्व ग्राम सिणधरी चौ० के खसरा नम्बर 61/11 में कुल रकबा 0.0951 हैक्टेयर ~~बीघा~~ किस्म भूमि गै.मु. कांकड़ में से रकबा 0.0007 हैक्टेयर ~~बीघा~~ भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस तलब किया गया। पेशी तिथि पर गैर सायल अनुपस्थित।

गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अतः गैर सायल के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर गैर सायल द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है।

ऐसी अवस्था में गैर सायल को राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मूतनाजा से बेदखली के आदेश दिये है। गैर सायल के इस कृत्य के लिए उनके विरूद्ध वार्षिक भू– राजस्व लगान 0.01 रुपये का राउण्ड अप एक रुपये का 50 गुणा अर्थात 50/– रूपये (अक्षरे पचास रूपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। गैर सायल से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी गैर सायल को उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखलकर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त करे। तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। निर्णय की क्रियान्वित मांग कायमी हेतु तराले/भू.अ. निरीक्षक/पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी (बाड़मेर)

तहसीलदार सिणधरी
तहसीलदार सिणधरी
जिला बाड़मेर